भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न सं. 1330

जिसका उत्तर 09.02.2023 को दिया जाना है

15 वर्ष से अधिक पुराने वाहनों पर प्रतिबंध

1330. श्री रविन्दर कुशवाहा:

श्री रवि किशन:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का दिल्ली की सड़कों पर 15 वर्ष से अधिक पुराने वाहनों के चलने पर ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा लगाए गए प्रतिबंध को लागू करने के लिए प्रभावी व्यवस्था करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसी व्यवस्था अन्य महानगरों और शहरी क्षेत्रों में भी किए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री
(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) और (ख): माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी), दिल्ली ने 2014 के ओ.ए. नंबर 21 वर्धमान कौशिक और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य में पारित अपने दिनांक 26-11-2014 के आदेश में एनसीटी दिल्ली में उन सभी वाहनों के चलने पर प्रतिबंध लगा दिया है जो 15 वर्ष से अधिक पुराने हैं और दिनांक 07-04-2015 को 2014 के ओ.ए. नंबर 21 वर्धमान कौशिक और अन्य बनाम भारत संघ में पारित आदेश में निर्देश दिया कि ऐसे सभी डीजल वाहन जो 10 साल से अधिक पुराने हैं, उन्हें एनसीआर, दिल्ली की सड़कों पर चलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने याचिका संख्या 13029/1985 (एमसी मेहता बनाम भारत संघ) में अपने आदेश दिनांक 29.10.2018 में निर्देश दिया कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के दिनांक 07.04.2015 के आदेश के अनुसार 10 वर्ष से अधिक पुराने सभी डीजल वाहन और 15 वर्ष से अधिक पुराने पेट्रोल वाहन नहीं चलेंगे।

माननीय एनजीटी और भारत के सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के परिणामस्वरूप, परिवहन विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (जीएनसीटीडी) ने अब तक 54,42,267 वाहनों

का पंजीकरण रद्द किया है (31.01.2023 तक) जिसमें 10 साल पुराने डीजल वाहन और 15 साल पुराने पेट्रोल/सीएनजी वाहन शामिल हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की प्रवर्तन शाखा नियमित रूप से 10 साल से अधिक पुराने डीजल वाहनों और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों की जांच करती है। प्रवर्तन शाखा ने 01 जनवरी 2014 से 31 जनवरी 2023 तक 10 वर्ष पुराने 446 डीजल वाहनों तथा 15 वर्ष पुराने 12,959 वाहनों (पेट्रोल/डीजल) को जब्त किया है। जब्त वाहनों को आगे स्क्रेपर्स को सौंपा जा रहा है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने भी 24 अगस्त, 2018 को "दिल्ली में मोटर वाहनों के स्क्रैपिंग के लिए दिशानिर्देश, 2018" जारी किए थे। जीएनसीटीडी ने भी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा अधिसूचित और समय-समय पर संशोधित मोटर वाहन (पंजीकरण और वाहन स्क्रैपिंग सुविधा के कार्य) नियम, 2021 (आरवीएसएफ) को अंगीकृत किया है।

(ग) और (घ): इस मंत्रालय के विचाराधीन ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

*****